यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–197 / 2022
CMS NO:- 2022/357

दायर दिनांक– 18.08.2022
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. जगदीश आ0 भंवरलाल जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
2. दयाराम आ0 भंवरलाल जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
3. ममता पत्नी स्व. भोलाशंकर जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
4. महावीर आ0 भंवरलाल जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
5. रमेश आ0 भंवरलाल जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
6. हेमराज आ0 भंवरलाल जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
7. नाबालिग काली पुत्री स्व0 भोलाशंकर जर्ये वली माता संरक्षक ममता पत्नी स्व. भोलाशंकर जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
8. नाबालिग खुशबू पुत्री स्व0 भोलाशंकर जर्ये वली माता संरक्षक ममता पत्नी स्व. भोलाशंकर जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
9. नाबालिग गोलमा पुत्री स्व0 भोलाशंकर जर्ये वली माता संरक्षक ममता पत्नी स्व. भोलाशंकर जाति मीना नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 26.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों की खातेदारी आधिपत्य की भूमि वांके ग्राम गुजरियाखेडा प.म. सादेडा मे खसरा नम्बर 206 रकबा 1.2944 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी भूमि पर डोल लगाकर मेडबन्दी कर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि जानवरों व अन्य नुकसान से बचा जा सकें। मौके पर विवाद की आशंका भी हो सकती है इस कारण पत्थरगढी करवाना आवश्यक है ताकि भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हों। यह कि प्रार्थीगण गरीव काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की मुस्तकिल पत्थरगढी नही हो रही। कई मर्तवा सीमांकन करवाया है परन्तु पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है। प्रार्थीगणों ने कई बार श्रीमान तहसीलदार साहब एवं जिला कलक्टर महोदय को पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन फिर भी पत्थरगढी नही हुई है।

यह कि प्रार्थीगणों को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि का नाप चौप करवाकर पत्थरगढी करवाये। मुस्तकिल सीमांकन करवाकर डोल लगाकर पत्थरगढी करवाकर तारवन्दी करवायें। प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस पेश कर धारा 111 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस सूनी गयी। प्रार्थीया कालीबाई पत्नी प्रहलाद जाति मीणा नि0 ग्राम गुजरियाखेडा के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 एवं 151 सीपीसी पर बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 206 रकबा 08 बीघा विस्थित ग्राम गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ

की पत्थरगढी किये जाने बाबत् पेश किया है। खसरा नम्बर 206 का कुल रकबा अधिक है। इसी नम्बर मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 725/206 रकबा 02 बीघा 4 बिस्व, खसरा नम्बर 726/206 रकबा 5 बीघा स्थित है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 206 मे करीब 8–10 बीघा भूमि सिवायचक मौके पर स्थित है जिसमे से करीब 5–6 बीघा भूमि पर प्रार्थीया के पुत्र शंभूलाल उर्फ सत्यनारायण का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है और हर वर्ष शासती जमा कराता चला आ रहा है जिसके खसरा नम्बर 598/506, 606/206 है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 206 की गलत तरमीम करवा रखी है। प्रार्थीगण ताकत व संख्या बल मे अधिक प्रभावशाली है जो खसरा नम्बर 206 की पत्थरगढी के बहाने प्रार्थीया के खाते व कब्जे की भूमि तथा प्रार्थीया के पूत्र शंभूलाल के कब्जे की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। साथ ही निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात के संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपीले लंबित है जिसमे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिनांक 27.11.2017 को हो रहा है जो अभी भी प्रभावी है। प्रार्थीया इस प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है। प्रकरण के समुचित निस्तारण के लिए एवं प्रार्थीया को श्रीमान के न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति रखने के लिए प्रार्थीया को अप्रार्थी के रूप मे पक्षकार बनाया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 एवं 151सीपीसी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया कालीबाई ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने स्वयं ने खसरा नम्बर 725/206 व 726/206 के संबधं मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 के तहत् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 कालीबाई बनाम तहसीलदार पेश किया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा 27.6.2022 को पत्थरगढी का आदेश पारित कर रखा है एवं प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी हो चुकी है इस कारण प्रार्थीया को प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। साथ ही निवेदन किया कि खसरा नम्बर 206 के संबंध मे एक रेवेन्यू वाद भंवरलाल बनाम भंवरलाल वाद संख्या 100 दावा 2015 मे निर्णय दिनांक 29.06.2015 द्वारा प्रतिवादीगणों के विरूद्व दावा डिक्री कर प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद कर रखा है जिसमे प्रतिवादी भंवरलाल, प्रहलाद वगै0 नि0 गुजरियाखेडा है जो सभी स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद है। प्रार्थीया कालीबाई ने प्रतिवादीगण से ही भूमि प्राप्त की है जिससे कालीबाई स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद है। इस कारण प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीया ने महज रंजिश वश प्रार्थना पत्र मे विलम्ब कारित करने व प्रार्थीगणों को तंग व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश्ज्ञ किया है जो खारिज योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 एवं 151 सीपीसी पर बहस को ध्यानपूर्वक सूना। प्रार्थीया कालीबाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस आशय से खारिज किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि खसरा नम्बर 206 की पत्थरगढी करवाना चाहते है, के राजस्व रिकॉर्ड मे बहैसियत खातेदार दर्ज है तथा प्रार्थीया को उक्त भूमि पर वर्तमान मे कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 206 जो कि राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण के नाम से ही दर्ज है, की पत्थरगढी करवाना चाहते है, क्योंकि उक्त भूमि मे खेती काश्त करने व भूमि की सूरक्षा करने मे काफि परेशानी हो रही है अतः उक्त भूमि खसरा नम्बर 206 की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत् आदेश फरमाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि खसरा नम्बर 206 की पत्थरगढी करवाना चाहते है, पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त ही नही है। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त भूमि पर कब्जा नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा